भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 490**

**14 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: दलहन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य**

**490. डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाजार मूल्य से लगभग दोगुना होने के बावजूद उससे अभी भी किसानों की उत्पादन लागत का भुगतान नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार संकटग्रस्त किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन करने पर विचार करेगी?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): दलहन सहित कृषि उत्‍पाद का मूल्‍य दैनिक आधार पर बाजार में आपूर्ति और मांग स्‍थितियों द्वारा निर्धारित होता है। कृषि उत्‍पाद/दलहनों के मूल्‍य कटाई के बाद नई फसल के बाजार में बड़ी मात्रा में आने से कम हो जाता है।

दलहन का एमएसपी, उत्‍पादन लागत और थोक मूल्‍य नीचे दिया गया है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | एमएसपी  (रू./क्‍विंटल) | उत्‍पादन लागत (रू./क्‍विंटल) | नवंबर\*, 2018 में औसत थोक मूल्‍य |
|  | 2018-19 | 2018-19 |  |
| अरहर (तूर) | 5675 | 3432 | 4458 |
| मूंग | 6975 | 4650 | 5685 |
| उड़द | 5600 | 3438 | 5228 |
| चना | 4620 | 2637 | 4757 |
| मसूर (लेंटिल) | 4475 | 2532 | 4129 |

\* अनंतिम

नवंबर, 2018 में दलहन का औसत थोक मूल्‍य उत्‍पादन लागत से अधिक है।

(ग): सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए दलहन सहित सभी अधिदेशित फसलों हेतु न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में वृद्धि की है ताकि उत्‍पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ प्राप्‍त हो। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक भी है क्‍योंकि यह पहली बार सभी अधिदेशित फसलों के लिए उत्‍पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ देने के लिए किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करता है।

किसानों को लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के लिए सरकार द्वारा घोषित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर केन्‍द्रीय नोडल एजेन्‍सियों के माध्‍यम से तिलहन, दलहन और कपास की खरीद के लिए सरकार मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का कार्यान्‍वयन करती है। इस योजना का कार्यान्‍वयन संबंधित राज्‍य सरकार के अनुरोध पर किया जाता है जो खरीदे गये जिन्‍सों को मंडी कर और अन्‍य राज्‍य प्रशुल्‍कों की वसूली से छूट देने पर सहमत होते हैं।

हाल ही में शुरू की गई समग्र योजना ‘‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण योजना’’ (पीएम-आशा) में कृषि उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाने के लिए उत्‍पादकों/किसानों को एक लाभकारी और स्‍थिर मूल्‍य स्‍थिति का आश्‍वासन देने के लिए एक व्‍यापक व्‍यवस्‍था का प्रावधान है। इस समग्र योजना में दलहन और तिलहन के लिए मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और किसानों को एमएसपी सुनिश्‍चित करने के लिए तिलहन के लिए प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद और भंडारण योजना (पीपीएसएस) शामिल है।

\*\*\*\*\*